



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227896  
CG-DL-E-25062021-227896

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2375]  
No. 2375]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ 4, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

**का.आ. 2562(अ).**—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1991 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री देबाशीष पण्डा के स्थान पर श्री अमित अग्रवाल (अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 11/6/2003-बीमा-I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Financial Services)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

**S.O. 2562(E).**—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby nominates Shri Amit Agrawal (Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services) as part-time member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Debasish Panda.

[F. No.11/6/2003-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.